संभागीय आयुक्त, अजमेर संभाग–अजमेर

(डॉ वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / अजमेर (2020 / 00982)

विभागीय अपील द्वारा श्रीमती सुनीता कुमावत, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत चौसला, पंचायत समिति केकडी, जिला परिषद अजमेर विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर आदेश क्रमांक जिपअ / स्थापना / 2020 / 361 दिनांक 26.06.2000 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्रीमती सुनीता कुमावत, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत चौसला, पंचायत समिति केकडी, जिला परिषद अजमेर।

आदेश

दिनांकः– 26-11-2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के आदेश क्रमांक जिपअ / स्थापना / 2020 / 361 दिनांक 26.06.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 24.12.2019 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

आपके ग्राम पंचायत चौसला, पंचायत [illegible] केकडी मे कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान [illegible] योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग हेतु निर्धारित Templets में [illegible] RM की प्रगति शून्य रही है जो कि आपके कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही तथा उदासीनता दर्शाता है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलार्थीया को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 22.01.2020 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर ने अपीलार्थीया को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 13.02.2020 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपीलार्थीया उपस्थित हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर ने अपीलार्थीया की सुनवाई कर आदेश पारित करते हुये अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण में दोषी मानकर अपीलार्थीया को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के उक्त दण्डादेश को अपीलार्थीया द्वारा आयुक्त एवं शासन सचिव ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के समक्ष चुनौती दी गई जिसे अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (1) द्वारा उनके पत्रांक एफ–37()परावि/प्रशा.02/मंत्रा/अवै.अव./2018/1685 जयपुर दिनांकित 26.08.2020 से यह अंकित करते हुए कि "विभागीय अधिसूचना कमांक 1301 दिनांक 02.08.2011 द्वारा जिला स्थापना समिति द्वारा कर्मचारियो के विरूद्ध अनुशात्मक कार्यवाही के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने व उक्त अपीलो का निस्तारण करते हुए समुचित आदेश पारित करने हेतु संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है।" अपीलार्थीया की अपील नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर को भिजवा दी गई। अपीलार्थीया द्वारा विचाराधीन अपील में दण्डादेश दिनांक 26.06.2020 चुनौती दी गई है।

कार्यालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अपील दर्ज की जाकर अपीलार्थीया को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर आदेश क्रमांक जिपअ/स्थापना/ 2020/361 दिनांक 26.06.2020 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रकिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीया ने व्यक्ति[illegible] अपील मे अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए क[illegible] पर लगाये गये आरोपो मे ग्राम पंचायत चौसला, पंचायत समिति केकडी [illegible] NRM की प्रगति जो कि शून्य बताई गई है, उसका कारण यह है कि पंचायत समिति चौसला का एक मात्र गांव कालेडा कंवर जी है जिसमे NRM कार्यो मे कुल्मिया तालाब का मॉडल तालाब के रूप मे जिर्णोद्धार कार्य था। उस वर्ष जुलाई के प्रथम पखवाडे से ही भारी वर्षा

संभागीय आयुक्त अजमेर

होने से तालाब एक ही वर्षा मे पूर्ण भर गये थे। कालेडा कंवरजी बीसलपुर डूब क्षेत्र का गॉव है जहॉ दो तालाब ही हैं, जिनका पानी केवल जानवरो के पीने के काम आता है। इनसे सिंचाई कार्य नही किया जाता है। अधिकांश तालाब मार्च–अप्रैल 2020 तक भी भरे हुए थे। इनकी फोटो भी जवाब स्वरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर को प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थीयां द्वारा उनसे निवेदन किया गया था कि तालाब पानी से भरे होने के कारण कार्य समय पर शुरू नही हो सका। वर्तमान मे तालाब खाली होने पर महानरेगा के कार्य मे प्रगति है जिससे अब NRM के कार्य मे प्रगति हो रही है और कार्य समय पर पूर्ण करवा लिया जायेगा।

अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि कालेडा कंवर जी बीसलपुर डूब क्षेत्र का गांव होने से कम आबादी का गांव है व आबादी छितरी हुई है। अधिकांश व्यक्ति अपने खेतो पर ही मकान बना कर रहते है और अपने कृषि कार्य मे व्यस्त रहते है जिसके कारण समय पर आवेदन प्राप्त नही होते है। उक्त अवधि मे कोई आवेदन नही आये इस कारण NRM की प्रगति का प्रतिशत कम रहा था।

कार्यालय संभागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
अजमेर

अपीलार्थीया का वरवक्त सुनवाई यह भी कथन है कि वित्तिय वर्ष 2019–20 मे महानरेगा के तहत (1) देवनारायण के मंदिर से सोलंकी के खेत तक ग्रेवल सडक (2) राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय से नाडी तक ग्रेवल सडक (3) जीएसएस से बाजटा सीमा तक ग्रेवल सडक मय पुलिया के कार्यो तक 150–200 श्रमिक (प्रति पखवाडा) नियोजित किये गये थे। अतएव उक्त कठिनाईयो व कारणो से NRM की प्रगति शून्य व प्रतिशत कम रहा। इसमे अपीलार्थीया की कोई लापरवाही अथवा जानबूझकर कार्य के प्रति उदासीनता कतई नही रही है अपितु इसमे परिस्थितिजन्य व प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण रहे हैं। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकी गई दो वार्षिक वेतन वृद्धियां बहाल की जावें।

अपीलार्थीया की प्रस्तुत अपील पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि मनरेगा की माह मार्च 2020 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अधिशाषी अभियंता (मनरेगा) कार्यालय जिला परिषद द्वारा कार्यालय टिप्[illegible]ंकित टिप्पणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि पिछ[illegible] की NRM की प्रगति 48 प्रतिशत रही है और पंचायत [illegible]की प्रगति 56.93 प्रतिशत रही है। श्रीमति सुनीता कुमावत, कनिष्ठ सहायक, [illegible]म पंचायत चौसला, मे कार्यरत रहते हुए NRM की प्रगति 07.38 प्रतिशत ही रही है जो कि संतोष जनक नही होने के कारण श्रीमति सुनीता कुमावत के विरूद्ध सीसीए 17 अन्तर्गत विचाराधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त
अजमेर

जॉच प्रकरण मे असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दंण्डित किया गया। यह आदेश सक्षम स्तर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर अजमेर से अनुमोदित है।

मैंनें अपीलार्थीया द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक जिपअ/स्थापना/ 2020/361 दिनांक 26.06.2020 द्वारा श्रीमती सुनीता कुमावत, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत चौसला, पंचायत समिति केकडी, जिला परिषद अजमेर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा उक्त आदेश में अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में अंकित किया था कि इस प्रकरण मे अपीलार्थीया की कोई लापरवाही अथवा जानबूझकर कार्य के प्रति उदासीनता नही रही है अपितु इसमे परिस्थितिजन्य व प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण रहे हैं। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से आंशिक सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंची हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एवं अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो अपचारी कर्मचारी पर लगाये गए आरोप से अत्यधिक कठोर दण्ड प्रतीत होता है। अतः अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26.06.2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से यथावत रखा जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जिपअ/स्थापना/ 2020/361 दिनांक 26.06.2020 अत्यधिक कठोर होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त
अजमेर

कारण निरस्त किया जाता है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 मे दिये गये दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के अत्यधिक कठोर दण्ड के स्थान पर अपचारी कार्मिक श्रीमती सुनीता कुमावत, कनिष्ठ सहायक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

26/11/20

(डॉ वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested